रजिस्ट्री सं० डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 401] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 1985/श्रावण 30, 1907

No. 401] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 1985/SRAVANA 30, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त 1985

अधिसूचना

का०आ० 615(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक महत्व के एक निश्चित मामले, अर्थात् अप्रैल से जून, 1985 के दौरान असम-नागालैण्ड सीमा संघर्ष से संबंधित घटनाओं की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग को नियुक्त करना आवश्यक है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा [illegible] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक जांच आयोग नियुक्त करती है जिसमें श्री बी० सी० माथुर एक मात्र सदस्य के रूप में होंगे।

2. आयोग निम्नलिखित मामलों के बारे में जांच करेगा :—

(i) उन घटनाओं का अनुक्रम जिनसे असम-नागालैण्ड सीमा पर मेरापानी क्षेत्र में उक्त संघर्ष हुआ और उनसे संबंधित सभी तथ्य ;

(ii) क्या उस संघर्ष और उसके परिणामस्वरूप सामान्य जीवन को हुई हानि और संपत्ति को हुए नुकसान को रोका जा सकता था ;

(iii) सशस्त्र पुलिस बलों को जिसके अन्तर्गत नागालैण्ड के ग्राम रक्षक भी हैं, तैयार करने और अभिनियोजित करने में दोनों राज्यों में प्राधिकारियों की भूमिका ;

(iv) क्या दोनों राज्य सरकारों के प्राधिकारियों और पुलिस बलों की ओर से कोई गलतियां या कर्तव्य की अवहेलना हुई थी ;

(v) दोनों राज्यों में पुलिस की स्थापना में कमियां और उनके सुधार के लिए सुझाव।

3. आयोग ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संक्षिप्त कालीन और दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश भी कर सकेगा और उस संदर्भ में ऐसी अन्य सिफारिशें जो वह ठीक समझे, करेगा।

4. आयोग यथाशक्य शीघ्र किन्तु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास तक न कि उसके पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा।

5. यदि आयोग ठीक समझता है तो वह उपर्युक्त पैरा 2 और 3 में वर्णित मामलों में से किसी के संबंध में उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व केन्द्रीय सरकार को अंतरिम रिपोर्ट दे सकेगा।

6 आयोग का मुख्यालय शिलांग, मेघालय में होगा।

7. केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति और सम्बन्धित अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध उक्त आयोग पर लागू किए जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त सभी उपबंध उक्त आयोग को लागू होंगे।

[सं० 11012/95/85 एन०ई०-4]
एस० एस० शर्मा, विशेष कार्य अधिकारी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st August, 1985

NOTIFICATION

S.O.615(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the incidents relating to the Assam-Nagaland border conflict during April to June 1985;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Shri B. C Mathur, as sole member.

2. The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters :—

(i) the sequence of events leading to and all the facts relating to the said conflict in the Merapani area on the Assam-Nagaland border;

(ii) whether the conflict and the resultant loss of human life and damage to property could have been averted;

(iii) The role of the authorities in both the States in mobilizing and deploying armed police forces including village guards of Nagaland,

(iv) whether there were any lapses or dereliction of duty on the part of the officials and uniformed forces of the two State Governments;

(v) the deficiencies in the police set-up of both the States and suggestions for revamping the same.

3 The Commission may also recommend short-term and long-term measures to prevent recurrence of such incidents and in that context make such other recommendations as it may deem fit.

4. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as may be, but not later than six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

5. The Commission may, if it deems fit, make an interim report to the Central Government before the expiry of the said period on any of the matters mentioned in paragraphs 2 and 3 above.

6. The headquarters of the Commission shall be at Shillong, Meghalaya.

7. The Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Commission and the Central Government hereby directs under sub-section (1) of the said section 5 that all the provisions aforesaid shall apply to the said Commission.

[No. 11012/95/85-NE.IV]
S. S. SHARMA, Officer on Special Duty

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1985